न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), मौजमाबाद, जिला–दूदू
पीठासीन अधिकारी : बलबीर सिंह, R.A.S.
प्रकरण : प्रार्थना पत्र
(GCMS No.) 2023/780

1. प्रियंका गुप्ता धर्मपत्नि हिमांशु जाति महाजन निवासी 47/48 किरण पथ, मानसरोवर जयपुर।

–प्रार्थीया

बनाम

1. मैसर्स उषा इनफ्रास्ट्रक्चर्स, पंजकृत कार्यालय 18–के –3 ज्योति नगर, जयपुर तहसीलदार, तहसील जयपुर, जिला जयपुर राज0।
2. उपतहसीलदार, उप तहसील बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्रः– अर्न्तगत धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट पत्थरगढी करने बाबत्।

उपस्थित : 1. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीया।
2. विपक्षी सं 1 अनुपस्थित

: : आदेश : :

दिनांक :– 19/12/24

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां मौजा गांव गौखमपुरा तहसील मौजमाबाद मे निम्न विवरण की कृषि भूमियां स्थित है खाता सं. 604 की आराजी ख0न0 1347/217 रकबा 0.2491 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2491 है0 में प्रार्थीया खातेदार दर्ज है। प्रार्थीया के लगवा विपक्षी सं 1 व 2 की कृषि भूमियां स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है विपक्षी सं. 1 आराजीयात खाता सं0 593 के आराजी ख0न0 1348/217 कुल रकबा0.8409 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8409 है0 व खाता संख्या 525 के आराजी ख0न0 1237/219 कुल रकबा 19.597 किस्म चारागाह व खाता संख्या 528 के आराजी ख0न 216 कुल रकबा 2.7900 है0 किस्म गै0मु0सड़क कुल स्थित है। प्रार्थीया के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये विवाद होते रहते हैं। तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश कमा एल आर/भू0अ0/2023/519 दिनांक 01.05.2023 की पालना में उक्त खसरा नम्बर का सीमाज्ञान किया जा चुका है, बावजूद इसके पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 01 उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है एवं मेर को सीमा को लेकर विवाद रखते है। विपक्षीगण अपनी सीमाओं से अधिक बढकर प्रार्थीया की आराजी की सीमाओं में घुसकर मेड तोडकर कब्जा करने का प्रयास करने के कारण प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र पेश कर पत्थरगढ़ी की दाद मांगी गई है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला दूदू

स्वीकार फरमावे तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित। विपक्षी 1 बाद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

प्रार्थीया के अधिवक्ता एकपक्षीय बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया की आराजीयात के सम्बन्ध में विपक्षी सं0 1 मेर सिव को आये दिन विवाद करते रहते है।अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व गांव मौखमुपरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं. 604 की आराजी ख0न0 1347/217 रकबा 0.2491 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2491 में प्रार्थीया खातेदार दर्ज है एवं राजस्व गांव मौखमुपरा तहसील मौजमाबाद की जमावन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं0 593 के आराजी ख0न0 1348/217 कुल रकबा0.8409 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8409 है0 में अप्रार्थी संख्या 01 दर्ज खातेदार है व खाता संख्या 525 के आराजी ख0न0 1237/219 कुल रकबा 19.597 किस्म चारागाह व खाता संख्या 528 के आराजी ख0न 216 कुल रकबा 2.7900 है0 किस्म गै0मु0सड़क दर्ज होकर आराजीयात स्थित है। प्रार्थीया आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमियों की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीया के द्वारा पूर्व में भी इस मेर सिव के विवाद के कारण सीमाज्ञान करवाया गया है , उक्त सीमाज्ञान के बावजूद प्रार्थीयागण एवं विपक्षी सं. 1 की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद के कारण न्यायालय में प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी का प्रा0पत्र पेश किया।

अतः भविष्य में प्रार्थीया एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य कानून पेचीदगीया न बढें व पक्षकारो की आराजीयात की सीमाओ का सही निर्धारण हो इस बावत प्रार्थीया अपनी आराजीयात मे पत्थरगढी कराने का अधिकारी साबित होती है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं आदेश सुनाया जाता है:–

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व गांव मौखमुपरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता सं. 604 की आराजी ख0न0 1347/217 रकबा 0.2491 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2491 है एवं राजस्व गांव मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद की जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में निम्नानुसार दर्ज खातेदारो की आराजीयात खाता सं. 604 की आराजी ख0न0 1347/217 रकबा 0.2491 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.2491

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला दूदू

विपक्षी सं. 1 एवं खाता संख्या 525 के आराजी ख0न0 1237/219 कुल रकबा 19.597 किस्म चारागाह व खाता संख्या 528 के आराजी ख0न 216 कुल रकबा 2.7900 है0 किस्म गै0मु0राड़क के मध्य पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार मौजमाबाद को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में जरिये पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार पत्थरगढ़ी पत्थरगढ़ी करवाकर पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थीया से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार मौजमाबाद को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद, जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी
मौजमाबाद जिला दूदू

उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला दूदू